

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही (राज.)

बईजलास श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, आई.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या 20/2026

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
प्राधिकृत अधिकारी ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड जयपुर जरिए प्राधिकृत अधिकारी श्री पंकज श्रीवास्तव।		1. श्री रमेश कुमार उर्फ रमेश लाल पुत्र श्री रगा राम मेघवाल निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही। 2. श्रीमती नैनुदेवी पत्नि श्री रमेश कुमार उर्फ रमेश लाल निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराइडेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002
उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता श्री हितेष चौबीसा, प्रार्थी बैंक की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 29.04.2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराइडेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पक्ष के द्वारा अप्रार्थी

1. श्री रमेश कुमार उर्फ रमेश लाल पुत्र श्री रगा राम मेघवाल निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
श्रीमती नैनुदेवी पत्नि श्री रमेश कुमार उर्फ रमेश लाल निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।

का राशि रुपये 3,00,000/- की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी ने अपनी जायदाद बैंक के पास बतौर अमानत बंधक रखी थी। अप्रार्थी ने अपनी जायदाद पट्टा संख्या 3426 दिनांक 23.05.2011 बुक संख्या 35 जो कि ग्राम वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसकी माप 1425.6 वर्गफीट है, को बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन कर दिया।

अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी के बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से नोटिस दिनांक 28.10.2025 को जारी किये गये, जो पंजीकृत डाक के माध्यम से तामिल करवाये गये, उसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीयों के द्वारा बतौर जमानत रहन रखी गई सम्पत्ति इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

धारा 14 दी सिक्यूरिटी ऐक्ट एण्ड रिकस्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इन्स्ट्रूट एक्ट 2002 के तहत प्रस्तुत प्रकरणों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 6256/2016 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2016 में यह माना है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी, गारण्टर्स या किसी अन्य व्यक्ति को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध धारा 17 के अन्तर्गत अपील का आनुकल्पिक उपचार ऋणी या अन्य व्यक्तियों को प्राप्त है। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा भी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बनाम सत्यवती टंडन व अन्य में तथा माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा रिट पिटिशन संख्या 23367/2017 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2018 तथा माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिविजन बैंच द्वारा भी विभिन्न प्रकरणों यह माना है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत ऋणी को अलग से नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय न्यायालयों द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुसरण में ही इस प्रकरण में भी अप्रार्थीगण को सम्बन्धित बैंक/फाईनेंस कम्पनी द्वारा धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस तामिल होने से इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को अलग से नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है।

प्रार्थी के लायक अधिकारी/अधिवक्ता की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता/अधिकारी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी एक नियमित निकाय है जो अपनी शाखाओं के माध्यम से ऋण देने का व्यवसाय करती है उसकी शाखाओं में से एक जयपुर में भी स्थित व कार्यरत है। प्रार्थी बैंक/संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को रुपये 3,00,000/- का ऋण स्वीकृत किया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक/कम्पनी के पक्ष में बन्धक रखी गई थी, जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है। बहस में कहा कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी पक्ष को नियमित रूप से ऋण राशि व ब्याज राशि का भुगतान नहीं करने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये किन्तु अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया। भुगतान नहीं करने के फलस्वरूप अप्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन रखी गई उक्त जायदाद इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाया जावे।

प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी। अप्रार्थी द्वारा राशि रुपये 3,00,000/- का ऋण लिया था। ऋण राशि के बदले में अप्रार्थी द्वारा अपनी जायदाद को बैंक/कम्पनी के पक्ष में उक्त जायदाद रहन रखी है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार धारा 13(2) के अधीन अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस भी दिनांक 28.10.2025 को जारी किये है, जिनकी प्राप्ति के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है।

दी सिक्यूरिटी ऐक्ट एण्ड रिकस्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इन्स्ट्रूट एक्ट 2002 की धारा 14 निम्न प्रकार है :-

14 . Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset – (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold or transferred by the secured creditor under the provisions of this Act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within whose jurisdiction any such secured asset or other document, relating thereto may be situated or found to take possession thereof and the

Chief Metropolitan Magistrate or as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him –

- (a) take possession of such asset and documents relating thereto and
- (b) forward such assets and documents to the secured creditor


(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1), the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

परिणामस्वरूप तथ्यों के संदर्भ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्कुराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्कुरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ने अपनी जायदाद बैंक के पास बतौर अमानत बंधक रखी थी। अप्रार्थी ने अपनी जायदाद पट्टा संख्या 3426 दिनांक 23.05.2011 बुक संख्या 35 जो कि ग्राम वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसकी माप 1425.6 वर्गफीट है, जिसका अडोस-पडोस इस प्रकार है-

पूर्व- श्री जेटा पुत्र श्री धना मेघवाल।
पश्चिम- श्री नैनाराम पुत्र श्री रगाजी मेघवाल।
उत्तर- श्री वागेन्द्र पुत्र श्री सरुपाजी मेघवाल।
दक्षिण- आम रास्ता।

उपरोक्त जायदाद पर अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होने की स्थिति में उक्त जायदाद का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस थाना से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाये जाने का आदेश दिया जाता है। यदि उक्त सम्पत्ति किसी भी तरीके से बंद पायी जाती है, तो ताला तोड़कर उक्त सम्पत्ति पर प्रार्थी बैंक अपना कब्जा स्थापित करें। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर के एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 14419/25 में पारित आदेश दिनांकित 30.10.2025 के अनुसार प्रार्थी को पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ पुलिस अधीक्षक सिरोही, संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। उक्त आदेश दिनांक 30.06.2026 के बाद से प्रभावी होगा। आदेश आज दिनांक 29.04.2026 को सरे ईजलास सुनाया गया।




(रोहिताशय सिंह तोमर)
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही